

स्थायी

नया प्रारूप "एक"

(निर्देश दिनांक 12.3.1997 की कड़िका क्र.8 (2) देखें)

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिए स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुविभाग.....

जिला.....बिड़र (म.प्र.)

पुस्तक क्र.....

प्रमाण पत्र क्र.....2731/11-148

पिछड़ा वर्ग

जाति प्रमाण पत्र

स्थायी

प्रमाणित किया जाता है। कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....श्री. शोबिन विहार.....

पुत्र/पुत्री श्री.....श्री. शोबिन विहार..... निवासी ग्राम नगर.....बाजार.....

तहसील.....बाजार..... जिला.....बिड़र..... मध्यप्रदेश के

निवासी है जो.....श्री. शोबिन विहार..... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप

में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

की अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984, पिछड़ा वर्ग

कल्याण विभाग की अधिसूचना 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल 1997 तथा इस

संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया । गया है और

जो सूची के क्रमांक.....2731 पर अंकित है।

श्री.....श्री. शोबिन विहार..... और/या उनका परिवार सामान्यतः

मध्यप्रदेश के जिला.....बिड़र..... संभाग.....बाजार..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....श्री. शोबिन विहार.....

क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते है।

प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम एवं मुहर

स्थान.....बिड़र.....

दिनांक.....15/11/2012.....

फार्म मिलने का पता.....बाजार.....
मिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय पदाभिहित अधिकारी, Lokseva Granti Bhind Urban

टप्पा/तहसील भिण्ड जिला भिण्ड

प्र.क्र. RS/420/0110/8342/2018 /बी-121/2018

दिनांक 02/06/2018

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. बादल यादव पिता/पति श्री गोविन्द बिहारी यादव निवासी डॉक बगला अटेर रोड भिण्ड, ward002, Bhind (M), Bhind, भिण्ड तहसील भिण्ड जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

R K Tripathi
प्राधिकृत अधिकारी

* लागू न होने पर काट दें।

सहायक प्राध्यापक
शा.ए.जे.एस.महावि.
भिण्ड (म.प्र.)

नोट :- जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/420/0110/8342/2018 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट lokseva.gov.in अथवा mpdistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट www.mpdistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

[click here to verify](#)

[Print](#)

[Back](#)

हस्ताक्षर